उत्तर क्षेत्रीय समिति

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)



Northern Regional Committee National Council for Teacher Education

(A Statutory Body of the Government of India)

TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA PART - III, SECTION 4

F. No. NRC/NCTE/NRCAPP-4211/225th Meeting/2014/7382.4

Date

RECOGNITION ORDER

WHEREAS in terms of Section 14(1) of the NCTE Act, 1993. Moli Foundation Education Trust, Plot No. 620/5, Street/Road - Mawana Road, Village - Fitkari, Post Office - Fitkari, Tehsil/Taluka - Mawana, Town/ City-Meerut, District - Meerut(UP), State - UP, Pin Code - 250401 has submitted an application (Code No. NRCAPP-4211) to the Northern Regional Committee of NCTE for grant of recognition for conducting B.Ed. Course with an annual intake of 100 (One Hundred only) on 28.12.2012 in the name of Mahendera Institute of Technology, Plot No.-620/5, Street No.-NH-119, Village - Fitkari, Post Office-Fitkari, Tehsil/Taluka-Mawana, City - Meerut, District - Meerut, State - UP, Pin Code - 250401.

- AND WHEREAS on scrutiny/perusal of veracity of the facts & figures as per the application submitted by the institution, the documents attached therewith, the affidavit and the input received from the visiting team in the form of visiting team report including videography, the Northern Regional Committee in its 225Th meeting held on February 25th to March 01th,2014 is satisfied that the institution/society fulfills the requirements under the provisions of NCTE Act, Rules and relevant Regulations including the Norms and Standards for the B.Ed. programme such as instructional facilities, infrastructural facilities, library, accommodation, financial resources, laboratory, etc. for running the programme and has selected/appointed duly qualified teaching staff as per NCTE norms.
- 3. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers vested under Section 14(3)(a) of the NCTE Act, 1993, the Northern Regional Committee hereby grants recognition to Mahendern Institute of Technology, Plot No.-620/5, Street No.-NH-119, Village Fitkari, Post Office-Fitkari, Tehsil/Taluka-Mawana, City Meerut, District Meerut, State UP,Pin Code 250401, for conduction of B.Ed. course of Secondary level of one year duration with an annual intake of 100 (One Hundred only) from the academic session 2014-2015 under clause 7(11) of NCTE (Recognition Norms & Procedure) Regulations, 2009 subject to fulfillment of the following conditions:-
 - The institution shall comply with the various other norms and standards prescribed in the NCTE Regulations, as amended from time to time.
 - II. The institution shall make admission only after it obtains affiliation from the examining body in terms of clause 8(12) of the NCTE (Recognition Norms & Procedure) Regulations, 2009.
 - III. The institution shall ensure that the required number of academic staff for conducting the course is always in position.
- Further, the recognition is subject to fulfillment of all such other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC, affiliating University/ Body, the State Government etc. as applicable.
- The institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year along the statement of annual accounts duly audited by a Chartered Accountant.
- The institution shall maintain & update its Web-site as per provisions of NCTE Regulations and always display following as mandatory disclosure:-
 - 1. Copy of the Application Form
 - II. Land and Building Particulars
 - III. Staff Profile
 - IV. Recognition letter
 - Information for having fulfilled the norms & stundard and other required conditions.
- 7. In case if the land is in the name of the Society/trust, you must transfer the land within six months in the name of the institution failing which action shall be initiated to withdraw the recognition. It shall be essential on the part of the institution concerned to get the needful done in this regard and intimate about the same to the respective Regional Committee along with the new land documents within the stipulated time.

- 8. If the institution contravenes any of the above conditions or the provisions of the NCTE Act, Rules, Regulations and Orders made or issued thereunder, the Regional Committee shall withdraw the recognition under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.
- 9. Further, if the institution is not satisfied with the order, it may prefer an appeal under section 18 of the NCTE Act, 1993 in the "online mode" available on NCTE's website www.ucte-india.org within 60 days from the issue of this order.
- This order is issued in continuation of circular no. NRC/Recognition/ 2014-2015/72478 dated 03.03.2014 issued by the NRC in this regard.

By orders, (Dr. Ram Kishor) Regional Director

Encl.- As above

The Manager to Govt. of India, Department of Publications, (Gazette Section) Civil Lines, Delhi – 110 054

Copy to:-

- The Secretary/Chairman Moli Foundation Education Trust, Plot No. 620/5, Street/Road Mawana Road, Village Fitkari, Post Office Fitkari, Tehsil/Taluka Mawana, Town/ City-Meerut, District Meerut(UP), State UP, Pin
 Gode 250401.
- The Principal, Mahendera Institute of Technology, Plot No.-620/5, Street No.-NII-119, Village Fitkari, Post Office-Fitkari, Tehsil/Taluka-Mawana, City Meerut, District Meerut, State UP, Pin Code 250401.
- The Principal Secretary, Higher Education, Government of Uttar Pradesh, Ground Floor, Room No. 2. Sachiv Bhawan, Sceretariat, Lucknow- 226001. Uttar Pradesh.
- 4 The Registrar, Ch Charan Singh University, Meerut, UP.
- The Secretary, Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Dethi- 110001.
- The US (Computer), National Council for Teacher Education, Hans Bhawan Wing-II. I. Bahadur Shah-Zafar Marg, New Delhi- 110 002.
- 7. Office order file/ Institution file.

Regional Director

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता / ५२७ दिनांक : 9-5-2015

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या—975/79— वि—1—14—1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा—37 की उपधारा—2 द्वारा प्रदत्त अधिकार के तहत माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में महेन्द इंग्डीटखुर ऑफ टैक्नोलॉर्जी! (महिला महाविद्यालय) ग्राम—फिटकरी, भवाना शेंड (मेरत) को शिक्षा संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०एड० पाट्यक्रम (100 सीट) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन 08 अतिरिक्त शिक्षकों का अनुमोदन अपेक्षित होने के दृष्टिगत दिनांक 01. 07.2015 से सम्बद्धता की पूर्वानुमित प्रदान की गयी है।

01. संस्था द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार बी०एड० पाठ्यक्रम में प्रवेश से पूर्व उपरोक्त संदर्भित कमियों का निराकरण कर िलया जायेगा एवं सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा सम्बद्धता आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

02. संस्थान / महाविद्यालय संशर्त सम्बद्धता / सम्बद्धता आदेश में इंगित किमयों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसंबिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्ते निरन्तर पूरी कर रहा है।

03. संस्था शासनादेश संख्या—2851 / सत्तर—2—2003—16(92) / 2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उत्लिखित दिशा—निर्देशों एवं इस विषय में लमय—समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। रिट यायिका संख्या—61859 / 2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या—522 / सत्तर—2—2013—2(650) / 2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन संस्थान / महाविद्यालय द्वारा सनिश्चित कराया जाये।

04. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शतों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानसार की जायेगी।

अतः कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार महेन्द्र इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, (महिला महाविद्यालय) ग्राम-फिटकरी, मवाना रोड (मेरठ) को शिक्षा संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०एड० पाठ्यक्रम (100 सीट) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2015 से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान

की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठयक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनक को सचनार्थ प्रेषित।

सचिव, महेना इंस्टीट्यूट थॉफ टैक्नोलॉजी, (मिडिला गठाविद्यालय) गाम-फिटकरी, गवाना शेख (मेरठ)।

3. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।

प्रमारी, कमेटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल/परीक्षा) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सचनार्थ प्रेषित।

 प्रभारी, इंटरनैट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करें।

गार्ड फाइल हेतु।

के स्माम्बर

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/305 के दिनांक : 24.2.2014

सेवा में,

सविव, महेन्द्र इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, एन0एच0-119, नोलेज पार्क, फिटकरी मवाना रोड, मेरठ।

महोदय.

कृपया अपने पत्र दिनांक रहित का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके द्वारा आपने संस्थान में स्विवत्त पोषित योजना के अंतर्गत प्रस्तावित बीठएडठ पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा चयनित निम्निलिखत अध्यर्थियों को

S.N. 1-	Name Dr.Richa Srivastava	<u>Design</u> Principal	Qualification M.Sc.(Bot.).,B.Ed., M.Ed.,	Univ. Expert Prof. Grijesh Kumar
		The street of th	M.Phil. (Edu.07). Ph.D. (Edu.13)Bareilly University, Bareilly	
				Dr.Nand Kumar
			THE RESERVE TO SERVE THE PROPERTY OF THE PROPE	SSSS College, Rasana, Mrt
				Dr.Indu Sharma
				I.N.College, Meerut
2-	Parveen Kumar	Lecturer	M.Com., B.Ed., M.Ed.,	Prof. Grijesh Kumar
	5.00.2.5000.050000000		M.A. (Pol.Sci.), M.Phil. (Edu.02)Bareilly University, Bareilly	
			NET (Edu.13)	Dr.Saroj Kumari
				CSNNS (P.G.) College,
				Machara, Meerut
3-	Manoj Singh	Lecturer	M.A.(Edu./Hindi)., B.Ed., M.Ed	-do
			NET (Edu.10)	
4.	Yogendra Kumar	Lecturer	M.A.(Math)., B.Ed., M.Ed.,	do
			NET (Edu.12)	
5-	Lakshmi Saxena	Lecturer	M.A.(Phil.).,B.Ed., M.Ed.,	do
000			NET (Edu.12)	
6-	Harindra Kumar	Lecturer	M.Sc (Zool.)., B.Ed., M.Ed.,	do
1800	Singh Yadav	*	NET (Edu.13)	
7-	Gyanendra Kumar	Lecturer	M.Sc.Ag. (Agro)., B.Ed., M.Ed.,	do
		No. 4	M.Phil. (Edu.09)., NET (Edu.12)	
8-	Ajit Singh	Lecturer	M.A (Hindi.)., B.Ed., M.Ed.,	do
			NET (Edu.13)	-0

सम्बन्धित विषय विशेषक्र हारा प्राचार्य एवं प्रवक्ता पद हेतु उपरोक्त अभ्यर्थियों की संस्तुति की गयी है। विषय विशेषक्र की संस्तुति एवं विश्वविधालय में उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर कुलपति जी के आवेशानुसार उपरोक्त अभ्यर्थियों को शासन / यू०जी०सी० / एन०सी०टी०ई० के मानकानुसार प्राचार्य एवं प्रवक्ता पद पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त संस्थान को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपशेक्त चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंने अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा

> सहा० कुलसचिव (सम्बद्धता) कृते कुलसचिव (स्र

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता / 2248 दिनांक : 31-10 - 2015

सेवा में, सचिव, महेन्द्र इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, फिटकरी, मवाना रोड, भेरठ।

महोदय.

कृपया अपने पत्र दिनांक शून्य का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें. जिसके द्वारा आपने संस्थान में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित बीoएडo पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा चयनित निन्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रवक्ता पद पर अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिनका विवरण निम्नत्व है :--

<u>S.N.</u> 1-	Name Shikha Dixit	Design	Oualification	Univ. Expert
1.00.0	Ollana Dixii	Lecturer	M.A.(Eng).,B.Ed.,M.Ed	Prof. Girijesh Kumar
				M.J.P.Ruhelkhand University,
				Barilly
				Dr.Saroj Kumari
				CSNSS (P.G.) College,
2-	Seema Arya	Lecturer	M.A (Edu./Skt.).,B.Ed	Machhra, Meerut
3-	Archana Gupta	Lecturer	M.A.(Edu./Skt.).,B.Ed	do
4-	Shruti Sharma	Lecturer	M.A (Pol.Sci.)., B.Ed., M.Ed	do
5-		Lecturer	M.A.(Psy.).,B.Ed., M.Ed	do

सम्बन्धित विषय विशेषज्ञ द्वारा प्रवक्ता पद हेतु उपरोक्त अभ्यर्थियों की संस्तुति की गयी है। विषय विशेषज्ञ की संस्तुति एवं विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर कुलपति जी के आवेशानुसार उपरोक्त अभ्यर्थियों को एन०सी०टी०ई० के मानकानुसार प्रवक्ता पद पर अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रवान किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षक की मृत्यु/त्यागपत्र/निष्कासन की दशा में विलन्बतम 15 दिनों में विश्वविद्याजलय को सूचित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त संस्थान को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त वयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे अन्यथा की रिथति में विश्वविद्यालय कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

उपकुलसविव (सम्बद्धता) कृते कुलसविव